न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्याः 65/2016 एल.आर.एक्ट

रुपसिंह पुत्र श्री ईशरसिंह जाति बाजीगर, निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।

अपीलांट्

—बनाम—

1. मक्खनसिंह पुत्र कालासिंह जाति मजबी, निवासी गदर खेड़ा हाल आबाद बुर्ज हनुमानगढ़ तहसील व जिला फाजिल्का ।
2. छिन्द कौर पुत्री कालासिंह जाति मजबी निवासी गदरखेड़ा, हाल आबाद बुर्ज हनुमानगढ़ तहसील व जिला फाजिल्का ।
3. गुरुनाम सिंह — पिसरान स्व. गुरा सिंह पोते स्व. कालासिंह पुत्र नारायण सिंह
4. जगनाम सिंह — जाति मजबी निवासी गदर खेड़ा हाल आबाद बुर्ज हनुमानगढ़
5. सतनाम सिंह — तहसील व जिला फाज़िल्का ।
6. परमजीत कौर — पुत्रियां स्व. गुरा सिंह पोतियां स्व. कालासिंह पुत्र नारायणसिंह
7. नुग कौर — जाति मजबी निवासी गदर खेड़ा हाल आबाद बुर्ज हनुमानगढ़
8. निकी कौर — तहसील व जिला फाजिल्का ।
9. रेशम सिंह पुत्र तेजकौर दोहिता कालासिंह पुत्र नारायण सिंह जाति मजबी, निवासी गदरखेड़ा हाल आबाद बुर्ज हनुमानगढ़ तहसील व जिला फाजिल्का ।
10. नत्था सिंह पुत्र तेजकौर दोहिता कालासिंह पुत्र नारायण सिंह जाति मजबी, निवासी गदरखेड़ा हाल आबाद बुर्ज हनुमानगढ़ तहसील व जिला फाजिल्का ।
11. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज ।

रेस्पोन्डेन्ट्

उपस्थित :— श्री सुरेश कुमार शर्मा — अभिभाषक अपीलांट्।
श्री राजेश बैद — अभिभाषक रेस्पोन्डेंट ।
श्री सुभाष सहू — राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः 7.8.2018

1. यह प्रथम अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत राजस्व तहसीलदार, सादुलशहर द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 22.3.2016 जिसके द्वारा चक 23 केएसडी का विरास्तन इन्तकाल सं0 876 को स्वीकृत करने के आदेश दिये गये, के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मुताबिक जमाबन्दी चक 23 केएसडी तहसील सादुलशहर के खाता संख्या 12/8 में कालासिंह पुत्र नारायणसिंह जाति मजहबी साकिन गदरखेड़ा के नाम 3.288 हैक्टेयर नहरी मय गैर मुमकिन रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसका विरास्तन इन्तकाल सं0 876 पटवारी हल्का गदरखेड़ा द्वारा दर्ज किया जाकर ग्राम पंचायत गदरखेड़ा की मीटिंग दिनांक 22.9.2015 में पेश किया गया । सरपंच, ग्राम पंचायत

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गदरखेड़ा ने उक्त नामान्तरकरण को विवादित मानते हुए निर्णय हेतु तहसीलदार, सादुलशहर को प्रेषित किया जाने पर पटवारी हल्का गदरखेड़ा की रिपोर्ट दिनांक 24.9.15 पर तहसीलदार सादुशहर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया जाकर सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर तलब किया गया । दिनांक 8–12–15 को पक्षकारों ने उपस्थित होकर साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए बयान दर्ज करबाए कि " कालासिंह पुत्र नारायणसिंह जाति मजहबी साकिन गदर खेड़ा फौत हो चुका है, जिसके वह विधिक वारिस है । पटवारी हल्का द्वारा विरास्तन इन्तकाल सही दर्ज किया है, जिसे स्वीकार किये जाने का निवेदन किया " । दस्तावेजी साक्ष्य में मृतक कालासिंह पुत्र नारायण सिंह, भगवान कौर पत्नी कालासिंह, गुरासिंह पुत्र कालासिंह, गुरचरणकौर पत्नी गुरासिंह, व तेज कौर पुत्री कालासिंह जाति मजहबी के मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिसनामा पंजाबी सहित हिन्दी अनुवाद तथा पहचान सम्बन्धी दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए । मृतकों के वारिसान की पहचान बिकरसिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख साकिन गदरखेड़ा द्वारा की गयी । इसी प्रकरण में अपीलान्ट रुपसिंह पुत्र ईशरसिंह जाति बाजीगर साकिन चोहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ की ओर सें दिनांक 8.12.15 को जरिये अधिवक्ता आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर बयान दिये गये कि इन्तकाल सं0 876 मिथ्या आधार पर दर्ज किया गया है, जबकि वह उक्त भूमि पर जरिये इकरारनामा दिनांक 24.3.1989 से काबिज है तथा सिविल न्यायालय का स्थगन आदेश दिनांक 10.8.15 भी पेश किया गया । तहसीलदार, सादुलशहर द्वारा उभय पक्ष की साक्ष्य एवं सुनवाई के पश्चात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–40 एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा–8 की अनुसूची–1 में अंकित विधिक वारिसान के परिप्रेक्ष्य में निर्णय दिनांक 22.3.2016 पारित किया गया कि मृतक काश्तकार कालासिंह पुत्र नारायणसिंह के विधिक वारिसान के नाम विरास्तन नामान्तरकरण सं0 876 मृत्यु प्रमाण पत्रों एवम् वारिसानामा के आधार पर दर्ज हुआ है। लगाए गए आक्षेप निराधार है । अतः इन्तकाल सं0 876 स्वीकृत किया जाने का निर्णय किया जाता है "। तहसीलदार (भू0अ0)सादुलशहर द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय दिनांक 22.3.2016 के विरुध्द अपीलार्थी रुपसिंह द्वारा इस न्यायालय में यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट् एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अपनी अन्तिम बहस में बताया कि ग्राम गदर खेड़ा तहसील श्रीगंगानगर में जीवित कालासिंह पुत्र नारायण सिंह जाति मजबी जो अपनी आराजी चक 23 केएसडी तहसील सादुलशहर के खाता संख्या 12/8 की 3.288 हैक्टेयर नंहरी भूमि पर काश्त करता रहा है । कालासिंह के नाम का रेस्पोन्डेंट सं0 1ता 10 द्वारा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिसनामा बनवाया जाकर गलत

तरीके से विरास्त इन्तकाल 876 स्वीकृत किया गया गया है । जबकि वह कालासिंह पुत्र नारायणसिंह जिसका रेस्पोन्डेंट सं0 1ता 10 फायदा ले रहे हैं, वह पंजाब का निवासी है । रेस्पोन्डेंट सं0 1 द्वारा तहसीलदार सादुलशहर के समक्ष न्यायालय द्वारा जारी किये गये उत्तराधिकार एवम् मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं कियें गये हैं । यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार निर्वसीयति मरने वाले हिन्दू पुरुष की धारा 8 के अन्तर्गत उन वारिसों के नाम दर्ज होगी, जो अनुसूची के वर्ग 1 में अंकित है" का उल्लेख किया गया है, परन्तु रेस्पोन्डेंट द्वारा प्रस्तुत किये गये सबूत सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किये गये हैं या नहीं, के बाबत कोई जांच नहीं की गयी है ।

5. अभिभाषक अपीलान्ट ने आगे अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त विवादित भूमि दिनांक 24.3.1989 को कालासिंह पुत्र नारायणसिंह से जरिये इकरारनाम खरीद की गयी है एवं उसी दिन से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है, जो दैनिक डायरी पटवारी हल्का गदरखेड़ा की रिपोर्ट दिनांक 23.12.15 से स्पष्ट है । इसके अलावा गुरनामसिंह पुत्र गुरासिंह पुत्र कालासिंह ने जरिये मु.आम तहसीलदार सादुलशहर के समक्ष हमें बेदखल करनें व कब्जा दिलाये जाने के लिए आर.टी एक्ट की धारा 183–बी के तहत दिनांक 8.10.15 को प्रार्थना पत्र पेश किया था, जो दिनांक 20.4.16 को खारिज फरमा दिया गया था, जिससे विवादित भूमि पर रेस्पोन्डेंट का कब्जा होने की बात गलत सिध्द हो जाती है। यह कि कालासिंह जिसके द्वारा भूमि बेचान की गयी, वह 75 वर्ष का हो चुका है, तथा जिन्दा है । अपीलान्ट द्वारा उक्त इकरारनामा की पालना हेतु इन्तकाल से पूर्व ही वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर के समक्ष स्पेशिक रिलीफ के तहत दिनांक 24.7.15 को वाद दायर किया हुआ है, जिसमें अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 10.8.15 को स्थगन आदेश भी जारी हुआ है । अतः जब तक सिविल न्यायालय से कोई फैसला नहीं हो जाता, तब तक इन्तकाल की कार्यवाही पेंडिंग रखी जानी चाहिये थी । इस सम्बन्ध में आरआरडी 1995 पेज 120, आरआरडी 1998 पेज 368, आरआरडी 2001 पेज 242 एवम् आरआरडी 2016 पेज 756 अवलोकनीय बताया । परन्तु अधीनस्थ न्यायालाय द्वारा सिविल न्यायालय में दावा पेंडिंग होने व स्टे होने के बावजूद विरास्तन इन्तकाल स्वीकृत किया गया है । रेस्पोन्डेंट द्वारा इकरारनामा बाबत एतराज इस अपील स्टेज पर उठाया गया है, जबकि तहसीलदार के समक्ष ऐसा कोई एतराज नहीं उठाया गया, अतः यहां अपील में नया एतराज नहीं उठाया जा सकता है । इस सम्बन्ध में एआईआर. 1984 कलकत्ता पेज 369 अवलोकनीय बताया । रेस्पोन्डेट सं0 1 ता 10 द्वारा कालासिंह की वर्ष 1990 में मृत्यु होनी बताई गयी है, जबकि इनके द्वारा विरास्तन इन्तकाल वर्ष 2016 में स्वीकृत करवाया गया है । उपरोक्त तथ्यों के अनुसार प्रार्थी अपीलान्ट हितबध्द एवम् व्यथित पक्षकार है तथा अपील पेश करने की लोकसटण्डाई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर विरास्तन नामान्तरकरण सं0 876 निरस्त फरमाया जावे ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 10 ने प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति एवं अन्तिम बहस में बताया कि अपीलान्ट की अपील का मुख्य आधार तथाकथित दस्तावेज इकरारनामा दिनांक 24.3.1989 है । इकरारनामा के आधार पर कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अतः अपीलान्ट को अपील की लोकस्टण्डाई प्राप्त नहीं होने से यह अपील निरस्त योग्य है । प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा दस्तावेज इकरारनामा दिनांक 24.3.1989 से वादगत भूमि का क्रय करना बताया गया है, जबकि रेस्पोन्डेन्टान के पूर्वज कालासिंह पुत्र नारायणसिंह ने अपने जीवनकाल में कभी भी वादगत भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं की है एवं नां ही कब्जा हस्तान्तरित किया है । वादगत भूमि राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोन्डेंटान के नाम दर्ज है तथा मौके पर उन्हीं का कब्जा काश्त है । कालासिंह पुत्र नारायण सिंह का दिनांक 9–3–1990 को देहावसान हो चुका है, जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित कर विरास्त इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दये गये हैं। यह कि अपीलान्ट स्व. कालासिंह पुत्र नारायणसिंह की मृत्यु से इन्कार करता है तथा दावा करता है कि कालासिह आज भी जीवित है, जिसने अपीलान्ट के पक्ष में तथाकथित इकरारनामा दिनांक 24.3.1989 निष्पादित किया है । इसके अलावा सिविल न्यायालय में जिस व्यक्ति को कालासिंह बताकर प्रस्तुत किया जा रहा है, उसका नाम जयराम पुत्र नूपसिंह, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट की इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी अपील आधारहीन है । प्रकरण में वाद गत भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार सादुलशहर द्वारा रेस्पोन्डेंटान के नाम से नियमानुसार विरास्तन इन्तकाल दर्ज करनें के आदेश दिये गये हैं। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील में वह व्यथित पक्षकार नहीं होने से यह अपील संधारण योग्य नहीं है । अभिभाषक रेस्पोन्डेंट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1977 पेज 429 एवम् आरआरटी 2014–15(Supp.) पेज 438 अवलोकनीय बताते हुए अपील अपीलान्ट निरस्त करने हेतु निवेदन किया ।

7. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपील में न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

1– न्यायालय के अनुसार यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत राजस्व तहसीलदार, सादुलशहर द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 22.3.2016 जिसके द्वारा चक 23 केएसडी का विरास्तन इन्तकाल सं0 876 को स्वीकृत करने के आदेश दिये गये, के विरुद्ध अपीलान्ट रुपसिंह द्वारा प्रस्तुत की गयी है । प्रकरण अनुसार मुताबिक जमाबन्दी चक 23 केएसडी तहसील सादुलशहर के खाता संख्या 12/8 में कालासिंह पुत्र नारायणसिंह जाति मजहबी साकिन गदरखेड़ा के नाम 3.288 हैक्टेयर नहरी मय गैर मुमकिन रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । जिसका विरास्तन इन्तकाल सं0 876 तहसीलदार सादुलशहर द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्रों एवं

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

वारिसनामा के आधार पर उभय पक्ष की साक्ष्य एवं सुनवाई के पश्चात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–40 में दिये गये प्रावधानों एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा–8 की अनुसूची–1 में अंकित विधिक वारिसान के नाम से स्वीकृत किया गया है ।

2– अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का मुख्य आधार यह है कि विवादित भूमि चक 23 केएसडी की 3.288 हैक्टेयर नहरी भूमि मय गैर मुमकिन रकबा अपीलान्ट द्वारा दिनांक 24.3.1989 को कालासिंह पुत्र नारायणसिंह जाति मजहबी साकिन 23 केएसडी से जरिये इकरारनाम खरीद की गयी है एवं उसी दिन से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । जबकि रेस्पोन्डेंट अभिभाषक की बहस अनुसार कालासिंह पुत्र नारायण सिंह का दिनांक 9–3–1990 को देहावसान हो चुका है, जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित कर विरास्त इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दये गये हैं। न्यायालय के अनुसार एग्रीमेंट के आधार पर कोई अधिकार सृजित नहीं होते हैं, जिसके कारण अपीलान्ट की विवादित भूमि के सम्बन्ध में विधिक वारिसान के नाम से स्वीकृत किये गये विरास्तन नामान्तरकरण सं0 876 विरुध्द अपील प्रस्तुत करने की वैद्य स्थिति (Locus standi) नहीं बनती है । तहसीलदार सादुलशहर द्वारा उभय पक्ष को सुनकर विरास्तन इन्तकाल स्वीकृत किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । प्रकरण में अपीलान्ट के पक्ष में किये गये इकरारनामा की पालना हेतु वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर के समक्ष स्पेशिक रिलीफ के तहत दिनांक 24.7.15 को वाद दायर किया हुआ है, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 10.8.15 को विवादित आराजी का आगामी पेशी तक रहन व बेचान नहीं करने का स्थगन आदेश भी जारी हुआ है । इन्तकाल एक फिस्कल प्रकिया है, जिसमें किसी भी पक्षकार के अधिकार सृजित नहीं होते हैं । प्रकरण में सिविल वाद के निर्णयानुसार आगामी कार्यवाही सम्पन्न होगी । अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार यह अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है एवम् अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सादुलशहर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.3.16 यथावत रखा जाता है ।

8. तद्नुसार अपील निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब, तकमील, दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 7.8.2018 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमाना सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर ।